1	2	3	4	5
3.	M/s. Monica Electronics (P) Ltd.	1	The case is being processed for issue of show cause notice.	
4.	M/s. Weston Electronics (P) Ltd.	5	2 64	Pending adjudication.
5.	M/s. Televista Electronics (P) Ltd.	5	1 45 crores	Pending adjudication.
6.	M/s. Disco Electronics	3	4 94 lakhs	Pending adjudication.
7.	M/s. Eskay Electronics (I) P Ltd.	2	9.3 lakhs	Pending adjudication.
8.	M/s. Electronics Consortium .	1	The case is being processed for issue of show cause notice.	
	TOTAL :	22	5.58 crores	

सोने की आवश्यकता

2416. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आभूषणों आदि के बनाये जाने के लिये अपेक्षित सोने की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश में सोने का वार्षिक उत्पादन कितना है और उसमें से आम जनता को कितना उपलब्ध होता है ।

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान में सोने की वार्षिक मांग की पूर्ति तस्करी से प्राप्त सोने की सहायता से की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार सोने की तस्करी को रोकने के लिए अपने वर्तमान प्रयासों के अलावा अन्य प्रोत्साहन देने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) सरकार ने, आभूषणों के निर्माण के लिये अपेक्षित सोने की मात्रा के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सोने का स्वदेश में उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	उत्पादन
1985	1852.7 कि० ग्राम
1986	1931.1 कि० ग्राम
1987	1864.2 कि० ग्राम

सोना आम जनता को सीधे मुहैया नहीं किया जाता है । लेकिन, देश में पर्याप्त मात्रा में सोने को संसाधित किया जाता है ।

(घ) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे की जाने वाली गतिविधि है, इसलिये, देश में तस्करी द्वारा लाये गये सोने की मात्रा का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है और इसलिये यह अनुमान लगाना भी संभव नहीं है कि क्या देश की सोने की वार्षिक मांग की पूर्ति तस्करी द्वारा लाये गये सोने से की जा रही है अथवा नहीं ।

(ङ) सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिये मुखबिरों तथा विभागीय

अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार-स्वरूप दी जाने वाली आर्थिक राशि की अधिकतम सीमा को दिनांक 4-6-88 से 350 रुपये प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति दस ग्राम कर दिया है। सोने के अभिग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

स्वर्ण नियंत्रण नीतियों की समीक्षा करने के लिए अधिकारी स्तरीय समिति का गठन

2417. **श्री राम जेठ मलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण नीतियों की समीक्षा करने के लिये अधिकारी स्तरीय समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदनों में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) (घ) माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा राज्य सभा में दिनांक 6-5-1986 को दिये गये इस आशय के आश्वासन के पश्चात् कि सरकार स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम का "पुनर्विलोकन" करेगी, मई, 1986 में दो कार्यकारी दल गठित किये गये थे अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में स्वर्ण नीति पर कार्यकारी दल (रंगराजन समिति) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री ज्योतिर्मय दत्त की अध्यक्षता में स्वर्ण नियंत्रण तंत्र पर कार्यकारी दल। एक ओर रंगराजन समिति ने स्वर्ण नीति के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की थी, तो दूसरी ओर दत्त समिति ने स्वयं (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के कार्यविधिक पहलुओं की जांच-पड़ताल की थी। रंगराजन समिति की रिपोर्ट मई, 1988 में प्राप्त हुई थी तथा दत्त समिति की रिपोर्ट मई, 1987 में प्राप्त हुई थी। रंगराजन समिति ने अन्य बातों के साथ साथ जो सुझाव दिये हैं, वे हैं -- स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन करना निवास अन्तरण नियमावली, आदि के अध्यधीन भारत में लाये जाने वाले शुल्क मुक्त स्वर्ण आभूषणों के सकल मूल्य की मौजूदा अधिकतम सीमा की समीक्षा करना।

दत्त समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ साथ जो सिफारिशें शामिल हैं, वे हैं--स्वर्णकारों द्वारा धारित किये जाने वाले प्राइमरी सोने की मात्रा की सीमा में वृद्धि करना ; रिकार्डों तथा विवरणियों में संशोधन करना ; स्वर्ण व्यापारियों को लाइसेंस देने की प्रणाली की समीक्षा करना तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में ढील देना।

Instructions to Delhi Police Officials regarding unauthorised construction in Delhi

2418. SHRI ASHOK NATH VERMA:
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether it is a fact that recently Police Headquarters, New Delhi instructed in writing the Delhi Police Officials not to interefer in any authorised or unauthorised construction until a complaint is lodged by the designated official of MCD, DDA under the amended laws; if so, what are the complete details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir.